Government Of Bihar
Social Welfare Department
स0क0स्था0–01–मु0–42/2015 4189 7.9.17

Notification –

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Child Protection Service (Recruitment & Conditions) Rules, 2014 :-

Bihar Child Protection Service (Recruitment & Service Conditions) (Amendment) Rules, 2017

1. **Short title, Extent and commencement**- (1) These Rules may be referred to as Bihar Child Protection Service (Recruitment and Service Conditions) (Amendment) Rules, 2017.

   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

   (3) It shall come in force from the date of publication in the official Gazette.

2. Provision relating to probation provided in Rule 9 of the said rules, 2014 shall be renumbered as sub rule (1) and there after the following sub rule (2) Shall be added :-

(2) "Training" – It will be compulsory to obtain the following training in the Probation period :-

(A) For officers appointed by direct recruitment :-

(i) Institutional training	-	03 months
(ii) Treasury training	-	01 month
(iii) Training under District Magistrate (including Weekly Training Protocol in various branches)	-	01 month
(iv) Training in Child Welfare Committee and Juvenile Justice Board .	-	01 month
(v) Training in Children Home/ Observation Home.	-	01 month

(vi) Training as Child Protection Officer

(Institutional /non Institutional) (One Month each - 02 months

(vii) Computer Training - 01 month

(Total Ten months)

(B) For Officers appointed by Promotion :

(i) Institutional training - 03 months

(ii) Treasury training - 01 month

(iii) Training under District Magistrate (including

Weekly Training Protocol in various branches) - 01 month

(iv) Training in Child Welfare Committee and Juvenile

Justice Board . - 01 month

(v) Training in Children Home/ Observation Home. - 01 month

(vi) Training as Assistant Director in Child Protection Unit. - 01 month

(vii) Computer Training - 01 month

(Total Nine Months)

3. Rule 10 of the said Rules, 2014 will be substituted by the following: -

"10 Departmental Examination will be conducted by the Revenue Board. There will be two Papers in the departmental examination and it will be necessary to get minimum 60% marks to be passed in each Paper .

"The following will be the subjects of the examination :-

First Paper	-	Bihar Service Code, Pension Rules and law Rules
Second Paper-		Treasury Code, Finance Rules, Practice and Procedure, Board circular Rules, General Provident Fund Rules and TA Rules.
Third Paper	-	Hindi (Written/Interview)
Fourth Paper	-	Accounts (Without Books)
Fifth Paper	-	Accounts (With Books)

sixth Paper - Child Protection Act./Plans and Rules

The syllabus of sixth Paper will be as follows:-

Various Acts / Regulations / Orders of Central and State related to Child Protection and Social Welfare and various schemes of Central/State such as The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (as amended from time to time) The Bihar Juvenile Justice Rules, 2012, Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, Child Marriage Prohibition Act, 2006 and Bihar Rules, 2010 Unethical Prevention Act, 1956, Parvarish Scheme, Inter-caste Marriage encouragement Scheme, Care and Observation etc.)

4. Rule 11 of the said Rules, 2014 will be substituted by the following -

(1) "Annual increment and confirmation - (i) For the first annual increment, it will be compulsory for the gazetted officers to pass Hindi Noting and Drafting Examination conducted by Rajya Bhasha Department and Departmental Examinations In the event of non-organizing the Hindi Noting and Drafting Examination / Departmental Examination between the period from appointment and first annual increment, the first annual increment will not be stopped.

(2) Confirmation (except for the promoted person in this cadre) - The persons appointed on probation will be eligible for confirmation in the service under the following conditions on the expiry of the probation period :-

(a) Passed in the Departmental Examination as provided by the department and should be obtain treasury training certificate according to the prescribed procedure ;

(b) The officers appointed on probation may be confirmed at the end of the probation if he fulfills all the criterion and has passed the Departmental Examination.

(c) He has obtained the prescribed training, from time to time, and after the training has passed the Departmental Examination.

(d) In this period, his/her conduct and service has been satisfactory and regular. "

5. **Rules-13 of the said Rules, 2014 Will be substituted by the following : -**

"13" Promotions – The appointment on immediate second hierarchical post and above all designated posts in this service will be made on the basis of the recommendation of the Departmental Promotion Committee on the basis of merit -cum- qualification from among the officers of the post below hierarchy.

It will be compulsory for officers to complete the kalawadhi prescribed by the General Administration Department for the promotion to the various posts and satisfactory service Resolutions / Circulars / Notifications related to promotion, issued by the General Administration Department from time to time will be applicable to the matters in respect to the promotion of this service.

By the order of the Governor of Bihar

(Sujata Chalana
Additional Secretary.
Social Welfare Department

Memo No. स0क0स्था0–01–मु0–42/2015 4189 **Patna, Dated :-** 7.9.17

Copy to :- E-gazette cell , Finance Deptt. Govt. of Bihar, Patna with CD and Hard Copy for publication in Bihar Official Gazette.

Additional Secretary.
Social Welfare Department

Memo No. स0क0स्था0–01–मु0–42/2015 4189 **Patna, Dated :-** 7.9.17

Copy to :- Member Board of Revenue/All Principal Secretary/ Secretary/Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna/ Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Bihar, Patna for information.

Additional Secretary,
Social Welfare Department

Memo No. स0क0स्था0–01–मु0–42/2015 4189 **Patna, Dated :-** 7.9.17

Copy to :- Accountant General (Accounts & Entitlement) Bihar, Patna / Officer in charge, Finance (Personal grievance fixation cell) Department, Bihar, Patna / All Divisional Commissioner/ All District Magistrate / Director Social Security & Disability/ Director, Social Welfare/ Director.ICDS/ All DPOs for information & necessary action.

Additional Secretary,
Social Welfare Department

Memo No. स0क0स्था0–01–मु0–42/2015 4189 **Patna, Dated :-** 7.9.17

Copy to :- Private Secretary to Minister , Deptt. Of Social Welfare/ Principal Private Secretary to Departmental Principal Secretary and All Departmental Officers for information.

Additional Secretary,
Social Welfare Department

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

–::अधिसूचना::–

संख्या– .स0क0स्था0–01–मु0–42/2015 4189 पटना, दिनांक– 7.9.17

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार बाल संरक्षण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तो) नियमावली, 2014 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

बिहार बाल संरक्षण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें)(संशोधन) नियमावली, 2017

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**–(1) यह नियमावली *बिहार बाल संरक्षण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें)(संशोधन) नियमावली, 2017* कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. उक्त नियमावली–2014 के नियम 9 में प्रावधानित परिवीक्षा संबंधी प्रावधान को उप नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा उसके बाद निम्नलिखित (2) प्रशिक्षण जोड़ा जाएगा :–

   (2) **प्रशिक्षण–परिवीक्षा अवधि में निम्नलिखित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा :–**

   (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों हेतु :–

(i)	संस्थागत प्रशिक्षण–	03 माह
(ii)	कोषागार प्रशिक्षण–	01 माह
(iii)	जिला पदाधिकारी के यहाँ प्रशिक्षण – (विभिन्न शाखाओं में साप्ताहिक प्रशिक्षण प्रोटोकॉल सहित)	01 माह
(iv)	बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय परिषद् में प्रशिक्षण–	01माह
(v)	बाल गृह/पर्यवेक्षण गृह में प्रशिक्षण–	01 माह
(vi)	बाल संरक्षण पदाधिकारी के रूप में प्रशिक्षण (संस्थागत/गैर संस्थागत)(प्रत्येक 01 माह)–	02 माह
(vii)	कम्प्यूटर प्रशिक्षण –	01 माह
		(कुल दस माह)

(ख) प्रोन्नति द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों हेतु :–

(i)	संस्थागत प्रशिक्षण–	03 माह
(ii)	कोषागार प्रशिक्षण–	01 माह
(iii)	जिला पदाधिकारी के यहाँ प्रशिक्षण – (विभिन्न शाखाओं में साप्ताहिक प्रशिक्षण प्रोटोकॉल सहित)	01 माह
(iv)	बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय परिषद् में प्रशिक्षण–	01 माह
(v)	बाल गृह/पर्यवेक्षण गृह में प्रशिक्षण–	01 माह

(vi) सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई के यहाँ प्रशिक्षण— 01 माह

(vii) कम्प्यूटर प्रशिक्षण — 01 माह

(कुल नौ माह)

3. **इस नियमावली— 2014 के नियम 10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—**

10—विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जाएगी। विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में *उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।*

" परीक्षा के विषय निम्नलिखित होंगे :—

प्रथम पत्र :— बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली एवं विधि नियमावली।

द्वितीय पत्र :— कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस एण्ड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली एवं यात्रा भत्ता नियमावली।

तृतीय पत्र :— हिन्दी (लिखित/साक्षात्कार)।

चतुर्थ पत्र :— लेखा (पुस्तक रहित)।

पंचम् पत्र :— लेखा (पुस्तक सहित)।

षष्टम् पत्र :— बाल संरक्षण अधिनियम/योजना एवं नियम —

षष्टम् पत्र के पाठ्यक्रम निम्नवत् रहेंगे —

(बाल संरक्षण एवं समाज कल्याण से संबंधित केन्द्र एवं राज्य के विभिन्न अधिनियम/विनियम/आदेश इत्यादि एवं केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाएँ यथा — किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख एवं संरक्षण) अधिनियम" , 2000 (समय—समय पर यथा सशोधित), बिहार किशोर न्याय नियमावली, 2012 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एवं बिहार नियमावली 2010, अनैतिक पणन निवारण अधिनियम, 1956, परवरिश, अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, प्रायोजन एवं देखभाल इत्यादि ।)"

4. उक्त नियमावली 2014 के *"नियम 11"* को निम्नलिखित द्वारा *प्रतिस्थापित* किया जाएगा—

" वार्षिक वेतन वृद्धि एवं सम्पुष्टि :— (1) राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु राजभाषा द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुपण परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। नियुक्ति एवं प्रथम वेतनवृद्धि के बीच हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारुपण परीक्षा/विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं होने की स्थिति में प्रथम वेतन वृद्धि नहीं रोकी जाएगी।

(2) सम्पुष्टि (इस संवर्ग में प्रोन्नत व्यक्ति को छोड़ कर) — परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति परिवीक्षावधि समाप्त होने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में सम्पुष्टि के पात्र होंगे :—

(क) विभाग द्वारा प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण एवं विहित प्रक्रिया अनुसार कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

(ख) परिवीक्षा पर नियुक्त पदाधिकारी को परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर सम्पुष्ट किया जा सकेगा यदि वह निर्धारित मापदण्ड एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

(ग) समय–समय पर विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो तथा प्रशिक्षण के उपरान्त यदि परीक्षा हो, तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो।

(घ) इस अवधि में उसका आचरण और सेवा संतोषजनक एवं नियमित रहा हो। "

5. उक्त नियमावली के "***नियम 13*** " को निम्नलिखित द्वारा ***प्रतिस्थापित*** किया जाएगा :–

" प्रोन्नति :– इस सेवा के द्वितीय पद सोपान एवं उसके उपर के सभी पद सोपानों पर नियुक्ति नीचे के पद सोपानों के पदाधिकारियों में से वरीयता सह अर्हता के आधार पर, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, की जाएगी।

प्रोन्नति के लिए पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर प्रोन्नति हेतु विहित न्यूनतम कालावधि पूरी करना एवं संतोषप्रद सेवा पूर्ण करना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर प्रोन्नति संबंधित निर्गत संकल्प/परिपत्र/अधिसूचना इस सेवा की प्रोन्नति संबंधी मामलों में लागू होंगे।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सुजाता चलाना)
सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–स0 क0 स्था0–01–मु0–42/2015 4189 पटना, दिनांक– 7.9.17

प्रतिलिपि :– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– स0 क0 स्था0–01–मु0–42/2015 4189 पटना, दिनांक– 7.9.17

प्रतिलिपि :– सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– स0 क0 स्था0–01–मु0–42/2015 4189 पटना, दिनांक– 7.9.17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय बिहार, पटना/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– स0 क0 स्था0–01–मु0–42/2015 4189 पटना, दिनांक– 7.9.17

प्रतिलिपि :– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।